हमें चाहिए पुनर्जागरण की चेतना

डा. सैयद ज़फ़र महमदू

अगर अल्लाह की मंशा होती तो वह हमें किसी अरब देश के राज घराने में पैदा कर देता। जहां पैसे की रेल-पेल होती और सम्पन्न व समृद्ध मुसलमान होने का अहंकार भी हमें होता। लेकिन यह उसकी "मशिय्यत" (मर्ज़ी) है कि उसने हमें बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इस देश हिन्दुस्तान में पैदा कर दिया जहां हमें अपनी ईमानी ताक़त, क्षमताओं और योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए बे-शुमार और कडी चुनौतियों का सामना है। फिर इस रणभूमि में हम पर यह महरबानी की कि एक अत्यंत पिछडे हुए विशाल समुदाय में हमें शिक्षित, बुद्धिमान और जागरूक बनाया और जीने के संसाधन हमें दिए। इन महरबानियों के साथ अब वह हमारी परीक्षा कर रहा है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने सामूहिक कल्याण के लिए किस हद तक प्रयास करते हैं। ज़ाहिर है कि अब हमें इस परीक्षा में सफ़ल होने के लिए हर दिन और हर पल प्रयास रत रहना होगा।

1950 में अनुसूचित जाति की परिभाषा से मुसलमानों को बाहर रखे जाने और इसके नतीजे में मुसलमानों के व्यापक नुक़सान का मुद्दा अल्लाह के फ़ज़ल से अब हम में से कुछ लोगों को सक्रिय करने लगा है। अल्लाह करे कि इस सक्रियता का दायरा पूरे देश तक फैल जाए और इसके फलस्वरूप एसी रसायनिक प्रक्रिया हो कि यह मुद्दा एक मानसिक व्यायाम तक सीमित न रह कर एक भौतिक परिश्रम बन जाए।

इसी के साथ इस मुद्दे से सम्बंधित और इसके समान महत्तव रखने वाला एक अन्य मुद्दा भी मिल्लत के लिए ग़ौर तलब है। संविधान में या 1950 के अध्यादेश

में यह नहीं बताया गया है कि किस राज्य के कौन कौन से चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के आरक्षित किए जाएंगे। यह निर्धारित करना डीलिमिटेशन कमीशन (हद बन्दी आयोग) का एक अतिरिक्त काम है जिसका मौलिक दायित्व देश में चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना है। सच्चर कमेटी ने आंकडों के आधार पर यह बताया है कि एसे चुनाव क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है और अनुसूचित जातियों की आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है उन्हें प्रायः अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस के विपरीत उसी राज्य में एसे भी चुनाव क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है और अनुसूचित जातियों की आबादी बहुत ज़्यादा है उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। इस वजह से दोनों तरह के चुनाव क्षेत्रों से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी का चुना जाना निश्चत हो जाता है और मुसलमान अपने अपेक्षित प्रतिनिधित्व के मामले में नुक़सान में रहते हैं। ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम क्षेत्रों से वह चुनाव लङ नहीं सकते और कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में वह जीत ही नहीं सकते। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं Double Jeopardy अर्थात दोहरी मार, जो कि मुसलमान 62 साल से झेल रहे हैं।

मुसलमानों के अधिकारों का यह हनन लगातार जारी है। इस कारण उनकी आवाज़ देश के विधान मण्डलों में इस ज़ोर, उत्सुकता, निरन्तरता और तालमेल के साथ नहीं उठती जो सदन में अपनी बात मनवाने के लिए ज़रूरी है। विधान निर्माण प्रक्रिया में यह कमी नौकरशाही के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालती रही है यहां तक कि नौकरशाहों के मस्तिष्क से मुस्लिम समुदाय के अधिकतर सकारात्मक पहलू मिट ही गए हैं, बल्कि मुसलमान प्रायः उनके लिए नगण्य हो गए हैं। यह मानसिकता जब मुसलमानों के प्रति उस दुर्भावना से जुङ जाती है जिस का इतिहास हज़ार साल पुराना है और जिसने देशवासियों के मन मस्तिष्क को

मुसलमानों के प्रति संवेदनाविहीन कर दिया है तो मुसलमानों के सम्बंध में नौकरशाही का मानवीय रवैया और ज़्यादा संकीर्ण हो जाता है।

उदाहरण स्वरूप, देश में जो लोग आय कर देते हैं उन में मुसलमान डेढ़ प्रतिशत हैं। आय कर अधिनियम के अनुसार जो लोग कर की चोरी करते हैं या क़ानून के किसी अन्य नियम की अवहेलना करते है उन पर ब्याज, जुर्माना और भुगतान लगाने के अलावा मुक़दमा भी चलाया जा सकता है जिसमें उन्हें दण्ड दिया जा सकता है। हर दो चार साल में एक बार विभाग को अचानक जोश आता है कि कुछ मुक़दमे लगना चाहिएं। विभाग से सर्कुलर जारी होता है कि हर अधिकारी को कम से कम दो मुक़दमे लगाने हैं। फिर देश भर में जिन लोगों पर मुक़दमे लगते हैं उनका एक चौथाई या उससे अधिक मुसलमान होते है, लेकिन यह बुद्धिविहीन और कटुतापूर्ण कार्रवाई हमारे विधन मण्डलों में कभी भी विचाराधीन नहीं आई।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने हाल में यह निर्णय लिया कि 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस. अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए भर्ती का तरीक़ा एसा अपनाया जाएगा कि नई सूची में या तो एक भी मुसलमान नहीं होगा या होंगे भी तो केवल दो, चार। जबकि यू.पी.एस.सी. ने और अधिकांश राज्य सरकारों ने इस विधि का विरोध किया (इस मुद्दे को विस्तार पूर्वक समझने के लिए देखें ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया की वेब साइटः www.zakatindia.org) । अदालत में अर्ज़ी लगा कर दस्तक दी गयी कि सरकार के इस क़दम से संविधान की धारा 16 का उल्लंघन होगा जिस में हर देशवासी को सरकारी नौकरी में भागीदारी के समान अधिकार की ज़मानत दी गयी है। फिर भी सरकार ने अदालत में अपने रुख़ को सही ठहराया और अदालत ने मुसलमानों के विरोध को इस अपमानता के साथ अस्वीकार कर दिया कि अपने निर्णय में इसका कोई उल्लेख तक नहीं किया। अदालत ने केवल यह कह कर बात ख़त्म कर दी कि सरकार अपने अधिकारियों

की नियुक्ति कैसे करे यह उसका अधिकार क्षेत्र है इसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब बताइए कि मुसलमान कहां जाएं और किस से फ़रियाद करें। मुसलमानों के प्रति संवेदनहीनता और अत्याचार के हज़ारों उदाहरण देश भर में सरकार के हर स्तर पर दिए जा सकते हैं।

लेकिन अपने साथ लगातार और समस्त प्रकार की एसी अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों पर मुसलमान आमतौर से केवल चुप ही नहीं रहते बल्कि उदासीन बने रहते हैं और जानते-बूझते इनकी अनदेखी करते रहते हैं। जबकि अल्लाह तआला के फ़रमान से यह बात साफ़ है कि मिल्लत अपनी हालत को बदलने के लिए जब तक ख़ुद प्रयास नहीं करेगी तब अल्लाह तआला भी उसकी हालत नहीं बदलेंगे। तो इस स्थिति से मुसलमानों को क्या सीख मिलती है!!! यूरोप में चौदहवीं सदी से सतरहवीं सदी तक की अवधि को पुनर्जागरण काल (Renaissance) कहा जाता है। उस ज़माने में वहां के कुलीन वर्ग (सामाजिक रूप से ऊंचे वर्ग के लोगों) ने अपनी आंखों का स्तेमाल भौतिक अवलोकन (ज़ाहिर रूप से देखने) तक सीमित न रख कर उनका दूरगामी उपयोग किया और सामूहिक राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता व चेतना को काम में लाने लगे। शासकों की निरंकुशता, संवेदनहीनता और अत्याचार व बर्बरता के लिए अवरोध उत्पन्न होने लगे, सामंतवाद और जागीरदारी के महल ढेने लगे। लोगों ने धार्मिक रुढ़िवाद और सम्राटवादी निरंकुशता दोनों से बाहर निकल कर स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा राष्ट्रीय संरचना को मज़बूत किया। इस अभियान का एक अंश था स्वंय को अपने अधिकारों से लगातार ख़बर दार बनाए रखना और देशवासियों के लिए उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। दूसरे, सरकार व शासन में हर वर्ग की अनुपातिक भागीदारी के लिए संघर्ष करते रहना। उस ज़माने की चौकस समझदारी और बौद्धिकतापूर्ण बदलाव के नतीजे में शैक्षिक एंव वैज्ञानिक बदलाव आए और

दूरगामी प्रभाव वाले सामाजिक व राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए। इस तरह पुनर्जागरण के द्वारा मध्यकाल की उदाहरणीय अज्ञानता से छुटकारा मिला और यूरोप की जनता को सकारात्मक रूप से नया जन्म मिला। मध्यकाल के अन्धकार को नवकालीन गुणों में बदलने के लिए आज यूरोप के लोग नवीन जीवन देने वाली इन तीन चार सदियों के आभारी हैं।

हज़रत ईसा मसीह (उन पर अल्लाह की कृपा हो) के बाद पहले हज़ारे में समग्र मानवीय विकास के मैदान में दुनिया के मुसलमानों की भरपूर भागीदारी रही। उसके बाद के हज़ारे में मुसलमान बौद्धिक प्रगति के प्रति अनदेखी में पड़ गए और हालांकि अब हम तीसरे हज़ारे में दाख़िल हो चुके हैं फिर भी हमारी अपंगता और कायरता का सिलसिला जारी है। अफ़सोस की बात है कि वैश्विक स्तर पर इस नकारात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति भारत के करोडों मुसलमानों की विमुखता और निष्क्रियता के रूप में हो रही है। हिन्दुस्तान की मिल्लते इस्लामिया के बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ने हमें मिल्लते इस्लामिया की सबसे बडी आबादी का ज़िम्मेदार बनाया है। इस नाते हमें विभिन्न दिशाओं में सक्रिय और कर्मशील होना होगा। मिल्लत को उसके अधिकार दिलवाने के लिए लगातार दौड़-धूप करनी होगी। हमें अपने अन्दर रीनेसंस (निशअते सानिया अर्थात पुनर्जागरण) लाना होगा। आज की दुनिया सिमट कर उंगली के एक पौर में समां गयी है। कम्प्यूटर और इण्टरनेट का उपयोग करके हम कहीं भी बैठ कर सूचना का अधिकार क़ानून (आर.टी.आई.) के अन्तर्गत जानकारियां ले सकते हैं। कमाल करने के लिए सिकन्दर बादशाह होना ज़रूरी नहीं। हर इंसान के सीने में अल्लाह ने सारा सामान जमा कर दिया है, हर आदमी ख़ुद अपने लिए एक आईना साज़ (शीशा गर) हो सकता है। अल्लामा इक़बाल कहते हैः-

चाहे तो बदल डाले हिय्अत चमनिस्तां की

यह हस्ती बीना है, दाना है, तवाना है

(आदमी का वजूद आंख धारी, बुद्धि धारी और शक्तिवान है यह अगर चाहे तो चमन की पूरी बनावट को ही बदल सकता है)